

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा निदेशालय जोधपुर
क्रमांक:-एफ-2()प्राशिनि/लेखा/बजट/2012-13/171029 दिनांक:27/2/13

समर्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
शिक्षा/प्रशिक्षण शाखा

विषय :— कोषालयो के माध्यम से विभिन्न स्कीमो का लाभार्थियो को
आधार बेस भुगतान के क्रम में ।

प्रसंग :— शासन सचिव वित्त (बजट) का परिपत्र क्रमांक एफ.5(थ-75)
कोष/आईएमएस/डीसीटी/22301-22600 दिनांक
19/2/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) के संदर्भ में लेख है कि
उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशो की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार ।

मुख्य लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/DCT/22301-22600 दिनांक 19/2/2013

परिपत्र

विषय:— कोषालयों के माध्यम से विभिन्न स्कीमों का लाभार्थियों को आधार बेस भुगतान के क्रम में।

भारत सरकार द्वारा राज्य के अलवर, अजमेर एवं उदयपुर जिलों में Direct Benefit Transfer योजना दिनांक 01.01.2013 से लागू की गई है जिसके तहत चयनित योजनाओं के लाभार्थियों को आधार भुगतान पुल (APB) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान किया जाना है। उक्त योजना माह अप्रैल 2013 से राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाना प्रस्तावित है।

इसी संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत किये जा रहे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सिस्टम से आधार भुगतान पुल (APB) को जोड़ दिया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिह्नित योजनाओं में “आधार” आधारित भुगतान अलवर, अजमेर एवं उदयपुर में सफलतापूर्वक किये जा रहे हैं।

इस व्यवस्था को राज्य के समस्त कोषालयों एवं आहरण/वितरण अधिकारियों के स्तर पर भी वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रक्रिया के साथ-साथ प्रारम्भ किया जा सकता है। इस हेतु निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है:—

1. लाभार्थियों के डिजिटल डाटा की उपलब्धता

- (i) आधार के माध्यम से भुगतान हेतु लाभार्थियों का मास्टर डाटा पे-मैनेजर साईट <http://paymanager.raj.nic.in> पर उपलब्ध फॉरमेट में इन्ड्राज किया जा सकता है।
(ii) यदि विभाग के पास एक ही योजना के लाभार्थियों का समेकित डिजिटल डाटा उपलब्ध है तो पे-मैनेजर की साईट पर अपलोड भी किया जा सकता है।

2. लाभार्थियों के बैंक खातों व आधार नंबर की सीडिंग

- (i) संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों के आधार संख्या का उनके बैंक खाते से सीडिंग करवाने हेतु डेस्टीनेशन बैंक को मैपिंग/सीडिंग फाइल उपलब्ध करवाई जा सकती है। डेस्टीनेशन बैंक वह बैंक है जिसमें लाभार्थियों के बैंक खाते हैं।
(ii) इस हेतु पे-मैनेजर साईट पर उपलब्ध लाभार्थियों के मास्टर डाटा से भी मैपिंग/सीडिंग फाइल बनाई जा सकती है।

923
21/02/2013

AIC
21/2/2013



(iii)इस फाइल को आहरण/ वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर हस्ताक्षर कर बैंक को प्रेषित किया जाए ।

(iv)सीडिंग फाइल बनाने हेतु आहरण/वितरण अधिकारी के लॉगिन पर रिपोर्ट मैन्यू में सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ।

(v)एजेन्सी बैंक से संबंधित बैंक खातों हेतु सीडिंग फाइल पे—मैनेजर पर उपलब्ध मास्टर डाटा से कोषालय के स्तर पर डिजिटल साईन कर बनायी जा सकती है ।

(vi)कोषालय के स्तर पर बनाई जाने वाली सीडिंग फाइल बनाने से पूर्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण—पत्र दिया जाना आवश्यक होगा कि उनके द्वारा पे—मैनेजर की साईट पर उपलब्ध संदर्भित रकीम के लाभार्थियों के मास्टर डेटा की जाँच कर ली गई है एवं वे सही प्राप्त गए हैं ।

3. NPCI (National Payment Corporation of India) एनपीसीआई से यूजर कोड व यूजर नेम प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया :-

(i)एनपीसीआई द्वारा योजनावार, जिलावार, ब्लॉकवार यूजर कोड एवं यूजर नेम दिए जाएंगे ।

(ii)इस हेतु जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना आवश्यक है ।

(iii).एनपीसीआई रजिस्ट्रेशन हेतु प्रपत्र स्पोन्सर बैंक के स्तर पर उपलब्ध करवाए जाएंगे । प्रपत्र का प्रारूप एनेकजर -1 संलग्न है ।

(iv)एक ही योजना के तहत भुगतान करने वाले विभिन्न विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों की कुल संख्या का विवरण नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा । एक रकीम के तहत भुगतान करने वाले विभिन्न विभागों के लिए समेकित आवेदन पत्र एन.पी.सी.आई. को प्रस्तुत किया जायेगा तथा एन.पी.सी.आई. से यूजर कोड एवं यूजर नाम प्राप्त करने के पश्चात संबंधित विभाग, आहरण वितरण अधिकारी को सूचित किया जायेगा ।

(iv)स्पोन्सर बैंक से आशय कोष /उपकोष व आहरण वितरण अधिकारी की राजकीय लेन देन हेतु अधिकृत बैंक शाखा से है ।

(v)एन.पी.सी.आई यूजर कोड एवं यूजर नाम की सूचना डी डी ओ द्वारा कोषालयों को दी जाएगी जो कोषालय द्वारा पे—मैनेजर पर डाली जाएगी ।

4. आधार के माध्यम से भुगतान करने हेतु प्रक्रिया—

(i)आधार के माध्यम से भुगतान (APB) हेतु कोषालयों/उपकोषालयों को फाइल भिजवाने से पूर्व आहरण वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक होगा कि लाभार्थियों के बैंक खातों की संबंधित बैंक द्वारा आधार नम्बर के साथ 2 दिन पूर्व सीडिंग कर ली गई है ।

(ii)लाभार्थियों के मास्टर डाटा में यूजर कोड, एवं एन.पी.सी.आई. द्वारा उपलब्ध करवाया गया यूजर नाम आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना जाना चाहिए ।

(iii)आधार बेस भुगतान हेतु यह आवश्यक है कि एन.पी.सी.आई. द्वारा दिये गये यूजर कोड एवं यूजर नाम के साथ सही आधार नम्बर संबंधित बैंक को उपलब्ध करवाये जाये तथा बैंक खाता संख्या जिसके साथ आधार नम्बर की सीडिंग की जानी है, की अच्छी तरह जाँच कर ली जाये ।

(iv) किसी भी प्रकार के गलत भुगतान अथवा फाइल रिजेक्शन (समय पर भुगतान नहीं होने) के लिए आहरण वितरण अधिकारी ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

(v) आधार बेस भुगतान हेतु भी आहरण वितरण अधिकारी द्वारा संबंधित कोषालय/उपकोषालय को ऑनलाइन बिलों के साथ फिजिकल बिल भी वर्तमान प्रक्रिया की भाँति प्रस्तुत करने होंगे। कोषालयों द्वारा आधार बेस भुगतान हेतु भी वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार फाइल जेनरेट करनी होगी, लेकिन आधार बेस भुगतान हेतु प्रत्येक बिल के लिए अलग फाइल बनानी होगी।

(vi) आधार के माध्यम से भुगतान हेतु लाभार्थियों के खाते चाहे राजकीय लेन देन हेतु अधिकृत एजेंसी बैंक में हैं अथवा अन्य बैंकों में अर्थात् ई.सी.एस. एवं एन.ई.एफ.टी.के लिए एक ही बिल बनाया जाएगा एवं कोषालय स्तर पर भी भुगतान हेतु फाइल बनाते समय आधार के माध्यम से भुगतान हेतु उपलब्ध विकल्प का प्रयोग किया जाएगा।

अतः एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) के माध्यम से कोषालयों के स्तर पर किए जाने वाले आधार बेस भुगतान करने हेतु उपलब्ध करदाई गई सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है।


(अखिल अरोड़ा)
शासन सचिव वित्त (बजट)

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/DCT/22301-22600 दिनांक 19/2/2013

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समरत संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
5. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
7. राज्य सूचना विज्ञान, अधिकारी एन आई.सी. सचिवालय जयपुर।
8. समस्त कोषाधिकारियों/उपकोषाधिकारियों राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आधार बेस भुगतान हेतु उपरोक्तानुर कार्रवाही करने के लिए आहरण वितरण अधिकारी को सूचित करें।
9. श्री मांक तिवारी, एडीजी, यू आई डी, नई दिल्ली
10. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।


संयुक्त शासन सचिव